वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
The Innovation Engine of India

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

No. फा.सं. 17-02(Reports)/2023-HR-III

Dated 03/07/2026

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)
From : Joint Secretary (Admn.)

सेवा में : सीएसआईआर की समस्त प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख
To : The Directors/Heads of all CSIR Labs/Instts./Units

विषय : कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (PoSH अधिनियम, 2013) के अंतर्गत आंतरिक समितियों के गठन एवं कार्यकाल संबंधी दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन।

Sub : Strict Compliance with Guidelines regarding Constitution and Tenure of Internal Committees under the SHWW (PPR) Act, 2013.

महोदया/महोदय,

मुझे आपका ध्यान *कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013* [PoSH अधिनियम, 2013] की धारा 4(3) की ओर आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि—

"*आंतरिक समिति की पीठासीन अधिकारी तथा प्रत्येक सदस्य अपने नामांकन की तिथि से ऐसी अवधि तक, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, पद धारण करेंगे, जैसा कि नियोक्ता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।*"

I am directed to invite your attention to Section 4(3) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, (PoSH Act, 2013) which explicitly stipulates that-

"The Presiding Officer and every Member of the Internal Committee shall hold office for such period, not exceeding three years from the date of their nomination, as may be specified by the employer."

फिर भी, हाल ही में यह संज्ञान में आया है कि कुछ प्रयोगशालाओं/संस्थानों में PoSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी उन्हीं पीठासीन अधिकारी/सदस्यों को कार्यरत रखने की अनुमति दी है। इस प्रकार के अनुपालनहीनता के मामलों को गंभीरता से लिया गया है।

However, it has recently come to notice that certain Labs/Institutes have allowed to continue with the same Presiding Officer/Members beyond the mandated 3-year tenure provided under the PoSH Act, 2013. This non-compliance has been viewed seriously.

--- 2/-

अतः, सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशकों से अनुरोध है कि वे अपनी-अपनी आंतरिक समितियों (Internal Committees - IC) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें। जिन मामलों में आंतरिक समिति अथवा उसके किसी सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वहाँ PoSH अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप समिति का पुनर्गठन करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जाए।

Accordingly, all Directors of CSIR Labs/Institutes are requested to review the current status of their Internal Committees (IC). Wherever the tenure of the IC (or any of its individual members) has expired, immediate action must be taken to reconstitute the committee in strict accordance with the provisions of the PoSH Act, 2013.

भवदीय/Yours faithfully,

03/7/26

(अजय कुमार राठी/ Ajay Kumar Rathi)
अवर सचिव/ Under Secretary

प्रतिलिपि / Copy To :

1. सीएसआईआर वेबसाइट / CSIR Website
2. कार्यालय प्रति / Office Copy